संख्या- 8 /3628/12-2-2013-बजट-5/2010

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 11 दिसम्बर, 2013

विषय वर्ष 2013-14 में बीज ग्राम योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- एस0एफ0/891 जी/बी0ग्रा0यो0/2013-14 दिनांक 20 जून, 2013, एस0एफ0/1020 जी/बी0ग्रा0यो0/2013-14 दिनांक 25 नवम्बर, 2013 तथा शासनादेश संख्या 1878/12-2-2013-बजट-5/2010 दिनांक 14 जून, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बीज ग्राम योजना में चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 1212.48 लाख के सापेक्ष भारत सरकार के पत्र संख्या 10-14/2012'एसडी-6 दिनांक 20 मई, 2013 द्वारा पुर्नवैद्य की गयी धनराशि में से रू0 336.90 लाख (रूपया तीन करोड छत्तीस लाख नब्बे हजार मात्र सामान्य कृषकों हेतु तथा रू0 143.51 लाख (रूपया एक करोड तैंतालिस लाख इक्यावन हजार मात्र) अनुसूचित जाति कृषकों हेतु कुल रू0 480.41 लाख (रूपये चार करोड अस्सी लाख इक्तालिस हजार मात्र) की धनराशि इस शर्त के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि स्वीकृत धनराशि का आहरण भारत सरकार से बीज ग्राम योजना की कार्य योजना की स्वीकृति तथा उसके दिशा-निर्देशों के क्रम में किया जायेगा तथा लाभार्थियों की सूची विभाग की वेब-साइट पर डाली जायेगी।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वीकृत धनराशि में से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा, जितनी धनराशि की आवश्यकता होगी।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीक़ति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या- 11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-103-बीज-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा पुरोनिधानित योजना-0102-बीज ग्राम योजना (के0 100/रा0 100-के0)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-640/दस-2013-231/2013 दिनांक 28 मार्च, 2013 में निहित प्राविधानों/निर्देशों के अधीन दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

संख्या (1)/12-2-2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/लेखा परीक्षा-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. अवर सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, एफ-102, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या- 10-14/2012-एसडी-6 दिनांक 20 मई, 2013 के क्रम में द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. अपर कृषि निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त ई-1/नियोजन-3/कृषि अनुभग-3/5/बजट अनुभाग'1/2
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in